

प्ररूप 6

[देखिए नियम 24(1)]

रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिया जाने वाला उम्मीदवारी की वापसी का नोटिस
गुरुद्वारा समिति का निर्वाचन

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि उपरोक्त निर्वाचन में निम्नलिखित वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार/उम्मीदवारों ने आज अपनी उम्मीदवारी/उनकी उम्मीदवारी वापस ले ली है :-

(वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार) का नाम	(वैध रूप से नामांकित उम्मीदवार) का पता	टिप्पणी
1.		
2.		
3.		
इत्यादि		

दिनांक

.....
रिटर्निंग अधिकारी